
## **FUNCTION AND DUTIES OF ORGANISATION**

(A.I.I.P.M & R., K.KHADYE MARG, MUMBAI)



1955 में स्थापित अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शारीरिक चिकित्सा पुनर्वास के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। नवंबर 1955 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित, संयुक्त राष्ट्र संगठन की तकनीकी विशेषज्ञता और जनशक्ति समर्थन के साथ, एक भारतीय विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉ. एम.वी.संत की योजना और सहयोग से संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आया। 1961 में भारत की पूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च, 1959 में एक नई पांच मंजिला इमारत की आधारशिला रखी और इसका औपचारिक उद्घाटन मार्च, 1976 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉ. करण सिंह ने किया।

मुख्य ब्लॉक ('ए' ब्लॉक) के संबंध में, आधारशिला डॉ. सी.पी. ठाकुर, द्वारा रखी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 29/09/2000 को और उद्घाटन 15/09/2006 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. ए. रामदास ने किया।

संस्थान अच्छी तरह से सुसज्जित पुनर्वास केंद्रों में से एक है जिसमें मुख्य ब्लॉक शामिल है जिसमें ओ.पी.डी. कॉम्प्लेक्स, 'स्टेट ऑफ आर्ट', ऑपरेशन थिएटर और एक पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, हाई टेक प्रोस्थेटिक्स और ऑथोंटिक्स फैब्रिकेशन विभाग, उन्नत फिजियोथेरेपी सेवाएं, छात्र छात्रावास और अतिथि कक्ष है। अन्य दो ब्लॉकों में भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग है जिसमें 55 बिस्तरों वाली रोगी सुविधा है, व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, वाक् चिकित्सा, चिकित्सा सामाजिक कार्य, व्यावसायिक मार्गदर्शन, पुस्तकालय के साथ अकादिमक अनुभाग, व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग और प्रोस्थेटिक सिहत पुनर्वास थेरेपी विभाग और ऑथोंटिक कार्यशाला हैं। इन ब्लॉकों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी विभागों में मरीजों के निदान और प्रबंधन के लिए जांच सुविधाएं भी मौजूद हैं।

संस्थान को देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों में लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों को व्यापक चिकित्सा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित किया गया है। यह विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और अनुसंधान अध्ययन की गुणवत्ता के लिए उच्च प्रतिष्ठा रखता है। उनमें से अधिकांश भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास और संबद्ध पुनर्वास क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम हैं।

संस्थान विकलांगता पुनर्वास संबंधी अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने, प्रशिक्षण देने और अनुसंधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

The All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, established in 1955, is the apex Institute in the field of Physical Medicine Rehabilitation under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Established in November 1955 as a pilot project, with technical expertise and manpower support from the UNITED NATIONS ORGANISATION, with planning and collaboration by an Indian expert late DR M.V. SANT, the institute came under the administrative control of the Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India in 1961. The former Prime Minister, Late Smt. Indira Gandhi

laid the foundation stone for a new five storied building in March, 1959 and it was formally inaugurated by Dr. Karan Singh, the then Union Minister of Health and Family Planning, in March, 1976.

Regarding the main Block ('A' Block), the foundation stone was laid by Dr. C.P. Thakur, Union Minister of Health and Family Welfare on 29/09/2000 and inaugurated by Dr. A. Ramadoss, Union Minister of Health and Family Welfare, on 15/09/2006.

The Institute is one of the well-equipped Rehabilitation Centers comprising of the Main Block which houses the O.P.D. Complex, 'State of Art', Operation Theatres and a Post-operative Recovery Room , High Tech Prosthetics and Orthotics Fabrication Department, advanced Physiotherapy Services, Students' Hostel and Guest Rooms. The other two blocks houses the Physical Medicine & Rehabilitation Department having a 55 bedded in-patient facility, Rehabilitation Therapy departments including Occupational Therapy , Physiotherapy , Speech Therapy, Medical Social Work , Vocational Guidance , Academic Section with Library , Vocational Training Department and the Prosthetic and Orthotic Workshop. Investigation facilities for diagnosis and management of patients are also present in these blocks in the departments of Pathology and Radiology.

The Institute is acclaimed globally for its commitment to provide comprehensive medical rehabilitation services to Persons with Locomotor disability from urban & rural areas of the country as well as overseas. It has high standing for its quality of training and research studies in various courses. Most of them are post graduate level courses in physical Medicine & Rehabiliatation and allied rehabilitation fields.

The Institute is actively involved in disability rehabilitation related research work and is recognised by department of science and technology (DST), government of India as research Institute.

The Institute is committed to provide services, impart training and conduct research in the field of Rehabilitation.

विभिन्न श्रेणियों की शारीरिक दुर्बलताओं के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण जन्मजात, जन्म संबंधी चोटों, संक्रामक, चयापचय, दर्दनाक, वंशानुगत या अपक्षयी विकारों के परिणामस्वरूप हो सकती हैं। कुछ अक्षम करने वाली स्थितियाँ जिनके लिए संस्थान में पुनर्वास प्रबंधन उपलब्ध है:-

- 1. बाल चिकित्सा अर्थात. सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो के बाद अविशष्ट पक्षाघात, जन्मजात विसंगतियाँ, आर्थोग्रिफ़ोसिस, मायलोमेर्निगोसेले, रिकेट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
- 2. न्यूरोलॉजिकल अर्थात। स्ट्रोक, सिर की चोटें, पार्किंसनिज़्म, मल्टीपल स्केलेरोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरॉन रोग, रीढ़ की हड्डी की चोटें।
- 3. आर्थोपेडिक अर्थात. सर्वाइकल और लम्बर स्पोंडिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट फ्रैक्चर सीक्वेल, जोड़ों की दर्दनाक स्थिति, परिधीय तंत्रिका चोटें, पर्थ रोग, स्कोलियोसिस, क्यफोसिस, कुष्ठ रोग से उत्पन्न विकृति, मधुमेह की माध्यमिक जटिलताएं, जलन संकुचन।
- विच्छेदन अर्थात. जन्मजात और अर्जित.
- 5. गठिया अर्थात ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटीइड गठिया, सेप्टिक गठिया, एंकिलोज़िंगस्पोंडिलोसिस।
- 6. भाषण अर्थात विलंबित भाषण और भाषा विकास, डिसरथ्रिया, वाचाघात।
- 7. खेल चोटें.

- लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सभी चिकित्सा पुनर्वास सेवाएं संस्थान की स्थापना के बाद से अपनाए
  गए 'अंतरविषयक टीम दृष्टिकोण' के माध्यम से एक ही छत के नीचे पेश की जाती हैं।
- उपचार के लिए नए पंजीकरण ओपीडी दिनों (सोमवार/बुधवार/शुक्रवार) को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक निःशुल्क किए जाते हैं।मरीज का पंजीकरण किया जाता है और केस पेपर जारी किए जाते हैं, इलाज करने वाले विशेषज्ञ की सलाह पर, रिकॉर्ड फाइलें जारी की जाती हैं जिन्हें रिकॉर्ड अनुभाग में उपचार/परामर्श प्राप्त होने के बाद वापस जमा किया जाता है, और मरीजों को संस्थान में प्रत्येक दौरे पर फाइलों तक पहुंचने के लिए दिखाने के लिए कार्ड दिए जाते हैं।
- निदान निर्माण और पुनर्वास प्रबंधन नुस्खे के लिए पीएमआर ओपीडी में जांच, जांच सुविधाएं रेडियोलॉजी / पैथोलॉजी / इलेक्ट्रो-डायग्नोसिस और फुट प्रेशर स्कैर्निंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- पुनर्निर्माण सर्जरी की आवश्यकता वाले मरीजों को सर्जरी के लिए प्रवेश की तारीख दी जाती है (आमतौर पर 3 महीने से अधिक नहीं) जो उपकरणों की परीक्षण तिथि के साथ समन्वित होती है और पूरी प्रक्रिया कम से कम संभव समय के भीतर पूरी हो जाती है।
- विभिन्न विभागों में हानियों और कार्यों का प्री-थेरेपी मूल्यांकन।
- फिजियोथेरेपी/व्यावसायिक थेरेपी और/या स्पीच थेरेपी विभागों में निर्धारित उपचारों की डिलीवरी, स्टाफ की उपलब्धता और इलाज किए जाने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर नियुक्तियां दी जाती हैं।
- निर्धारित ऑर्थोसिस/प्रोस्थेसिस के लिए माप, पी एंड ओ क्लीनिक में उपकरण की फिटमेंट और गुणवत्ता के लिए रोगी का मूल्यांकन किया जाता है और फिर उपकरण को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लगता है।
- आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और व्यावसायिक परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।
- यदि आवश्यक हो तो मरीजों को वार्ड में भर्ती किया जाता है, विशेष रूप से सर्जिकल या दीर्घकालिक पर्यवेक्षित प्रबंधन के लिए।
- जहां भी आवश्यक हो मरीजों को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और रोजगार के लिए भेजा जाता है।
- विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले मामलों और पुनर्वास टीम द्वारा विस्तृत चर्चा और पुनर्वास योजना पर पूर्व नियक्ति देकर विशेष क्लीनिकों में चर्चा की जाती है।
- गंभीर रूप से विकलांगों के लिए परिवहन सेवा, नियमित रूप से उपस्थित होने पर, संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है,
  यदि सुविधाएं निश्चित सीमा तक उपलब्ध हैं।
- मेडिकल/सर्जिकल/थेरेपी/हस्तक्षेप और जांच निःशुल्क हैं।
- विशेष गतिशीलता सहायता और उपकरणों की लागत संस्थान/प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित दर के अनुसार मरीजों द्वारा वहन की जाएगी।
- विकलांगता एवं अन्य प्रमाण पत्र नियुक्ति के अनुसार जारी किये जाते हैं।
- Services are offered to the various categories of physical impairments, which may be consequent to disorders ranging from congenital, birth injuries, infective, metabolic, traumatic, hereditary or degenerative due to the aging process. Some of the disabling conditions for which rehabilitation management is available at the Institute are:-
  - 1. Paediatric viz. Cerebral Palsy, Post polio residual paralysis, Congenital anomalies, Arthogryphosis, Myelomeningocele, Rickets, Muscular dystrophy.
  - 2. Neurological viz. Stroke, Head injuries, Parkinsonism, Multiple Sclerosis, Peripheral neuropathies, Motor neuron diseases, Spinal cord injuries.
  - 3. Orthopaedic viz. Cervical and Lumbar spondylosis, Osteoporosis, Post fracture sequelae, Painful conditions of joints, Peripheral nerve injuries, Perthes disease,

- Scoliosis, Kyphosis, Deformities resulting from Leprosy, Secondary complications of Diabetes, Burn contractures.
- 4. Amputations viz. Congenital and acquired.
- 5. Arthritic viz. Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis, Septic arthritis, Ankylosingspondylosis.
- 6. Speech viz. Delayed speech and language development, Dysarthria, Aphasia.
- 7. Sports injuries.
- All Medical Rehabilitation Services for persons with Locomotor Disability are offered under one roof through the 'Interdisciplinary Team Approach' followed in the Institute since its inception.
- New Registrations for treatment are done free of cost on OPD days( Monday/ Wednesday/Friday) from 9 am to 11 am. Patient's registration are done and case paper are issued, on advice of treating specialist, record files are issued that are to be submitted back in the Records section after the treatment/ consultation is received and cards are given to the patients to be produced to access the files on each visit to the Institute.
- Examination in PMR OPD for the Diagnosis making and rehabilitation management prescription. Investigation facilities Radiology / Pathology / Electro-diagnosis and foot pressure scanning facilities are available.
- Patients requiring Reconstructive Surgeries are given a date of admission for surgery (normally not exceeding 3 months) which is coordinated with the trial date of the appliances and the entire procedure is completed within the shortest possible time.
- Pre-therapy evaluation of impairments and functions in the various Departments.
- Delivery of prescribed therapies in physiotherapy/ occupational therapy and/or speech therapy departments. Appointments are given based on availability of staff and no. of patients to be treated.
- Measurement for prescribed orthosis/ prosthesis. Patient is assessed for fitment and quality of the appliance in P&O clinics and the appliance is then finalized. The process requires time varying from few hours to few weeks.
- The services of medical social worker and vocational counselor are utilized whenever required.
- The patients are admitted to the ward, if required, particularly for surgical or long term supervised management.
- Wherever required patients are provided training in the Vocational Training Workshop and referred for Employment.
- Cases requiring special attention and detailed discussion and rehabilitation planning by the rehabilitation team are discussed in special clinics, by giving prior appointment.
- Transport Service for the severely disabled, attending regularly is provided by the Institute, if the facilities are available up to certain limit.
- Medical/ Surgical / Therapy / interventions and Investigations are Free of Cost.
- Cost of Special Mobility Aids and Appliances are to be borne by the Patients as per rate pre decided by the Institute/Authority.
- Disability and other Certificates are issued as per appointment.